



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238949
CG-DL-E-21092022-238949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]
No. 459]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (400).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

| क्रं. सं. | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक | संशोधनों की संख्या एवं तिथि | संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि | तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा |
|-----------|---|----------------------------------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | आई एस 14697 : 2021 ए. सी. स्टैटिक ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड वॉटआवर मीटर (वर्ग 0.2 एस एवम 0.5 एस) एवम वार ऑवर मीटर (वर्ग 0.2 एस, | संशोधन संख्या 1 सितम्बर, 2022 | 5 सितम्बर, 2022 | 4 सितम्बर, 2022 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 0.5 एस एवम 1 एस) – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | | | |
|--|---|--|--|--|

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/डाउनलोड किया जा सकता है।

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-I)

[विज्ञापन-III/4/असा./280/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (400).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

| Sl No. | No., Year & Title of the Indian Standard | No. and Month/Year of the Amendment | Date of Establishment of the Amendment | Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force |
|--------|--|-------------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | IS 14697 : 2021 a.c. Static Transformer Operated Watthour Meters (Class 0.2S and 0.5S) and Var-Hour Meters (Class 0.2 S, 0.5 S and 1 S) — Specification (First Revision) | Amendment No. 1 Sept 2022 | 5 Sept, 2022 | 4 Oct, 2022 |

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

RAJEEV SHARMA, Scientist F & DDG (Standardization-I)

[ADVT.-III/4/Exty./280/2022-23]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (401).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है: